झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–17.12.2025 एवं दिनांक–18.12.2025 को रामगढ़ एवं कोडरमा जिले में औचक निरीक्षण तथा समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की माननीय प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दिनांक–17.12.2025 एवं दिनांक–18.12.2025 को रामगढ़ एवं कोडरमा जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा–विद्यालयों में दिये जाने वाले पी0एम0 पोषण, जनवितरण प्रणाली केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, कुपोषण उपचार केन्द्रों आदि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही इन जिलों के सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।

रामगढ़ जिला

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–17.12.2025**

➢ ***आंगनबाड़ी केन्द्र :–***

- दिनांक–17.12.2025 को आयोग द्वारा मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल, कोड सं0–424 ग्राम–कुंद्रुकला, जिला–रामगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में कुल–27 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से सभी बच्चे उपस्थित पाए गए। बच्चों द्वारा कभी–कभी ही अंडा मिलने की बात कही गई। सेविका से पूछने पर उनके द्वारा अंडा का मूल्य बढ़ने के कारण एक दिन छोड़ कर देने की बात बताई गई। वर्तमान में अंडा का मूल्य 9 रूपये हो जाने के कारण प्रतिदिन अंडा देने में असमर्थता जताई गई। केन्द्र में उपस्थित गर्भवती महिलाओं द्वारा निर्धारित पोषाहार मिलने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग द्वारा मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल, साण्डी, प्रखंड मांडू, जिला–रामगढ़, कोड संख्या–607 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में नामांकित कुल–26 बच्चों में से 16 बच्चे उपस्थित पाए गए। केंद्र के बच्चों द्वारा प्रतिदिन अंडा मिलने की बात कही गई। केंद्र में उपस्थित गर्भवती महिलाओं द्वारा पोषाहार मिलने एवं पूर्व में बच्चे के जन्म के समय भी PMMVY से सम्बन्धित किस्त की राशि मिलने की बात कही गई। साथ ही केंद्र की सेविका द्वारा बच्चों के लिए ड्रेस का अभाव होने की बात बताई गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–***

- राशन डीलर, श्री राजेश कुमार जैन, अनुज्ञप्ति संख्या–3/90, राँची रोड, वार्ड नंबर–1 जिला–रामगढ़ के राशन दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सूचना

पट्ट अंकित पाया गया। उपस्थित लाभुकों द्वारा पूरा राशन मिलने, ई–पॉस मशीन से निकलने वाला पर्ची मिलने एवं किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने की बात कही गई।

(फोटो की प्रति संलग्न)

- राशन डीलर, श्री तपेश्वर प्रसाद साहु, अनुज्ञप्ति संख्या–3/92, राँची रोड, वार्ड नंबर–1, जिला–रामगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सूचना पट्ट अंकित पाया गया। उपस्थित लाभुकों द्वारा पूरा राशन मिलने एवं ई–पॉस से निकलने वाला पर्ची मिलने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***पी0 एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) :–***

- आयोग द्वारा राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय, U Dise code–20241409111, राँची रोड, पोस्ट मरार, जिला–रामगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बच्चों के लिए बनाए जाने वाले भोजन कुकिंग गैस के स्थान पर कोयला पर बनता हुआ पाया गया। विद्यालय में भोजन से सम्बन्धित मेन्यू अंकित पाया गया। बच्चों द्वारा सप्ताह में 2 दिन अंडा मिलने एवं मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने की बात कही गई।

  (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय, भरीचनगर, साण्डी, प्रखंड मांडू, जिला रामगढ़, U Dise code–20241209401 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भोजन कूकिंग गैस पर बनता हुआ पाया गया। बच्चों द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने की बात कही गई। बच्चों को सप्ताह में 1 दिन अंडा एवं 1 दिन फल मिलने की बात सामने आई। सप्ताह में 1 दिन अंडा देने के विषय में विद्यालय की प्रभारी शिक्षिका द्वारा इसका कारण अंडा का बढ़ा हुआ मूल्य बढ़ने का कारण बताया गया। बच्चों के लिए बने मडुआ के हलुआ में नाम मात्र का ही मडुआ था, ज्यादातर सूजी का मिलावट पाया गया। आयोग द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं हलुआ की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड गोदाम का निरीक्षण :–***

- आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, प्रखंड रामगढ़, जिला रामगढ़ के गोदाम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। आयोग द्वारा स्टॉक की जानकारी ली गई। अनाज का रख–रखाव सही पाया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***कुपोषण उपचार केन्द्र :–***

- आयोग द्वारा रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल–2 बच्चे भर्ती पाए गए, जबकि क्षमता 10 बेड का है। केंद्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा सही ईलाज होने, प्रतिदिन भोजन मिलने,

प्रतिदिन 130 रूपये की राशि मिलने एवं कोई शिकायत नहीं होने की बात कही गई। केंद्र साफ–सुथरा पाया गया। आयोग द्वारा निर्देश दिया गया कि कुपोषित बच्चों को केंद्र में भर्ती कराने के लिए उनकी माताओं को जागरूक करें। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ **समीक्षात्मक बैठक, रामगढ़।**

- दिनांक–19.12.2025 को अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक परिसदन भवन, रामगढ़ में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे रामगढ़ जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए सभी शिकायतों पर 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- प्रभारी अध्यक्ष द्वारा रामगढ़ जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के बीच अंडा वितरण में अनियमितता बरतने पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष नाराजगी व्यक्त की गई। निर्देश दिया गया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रतिदिन अंडा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्हें जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा प्रति अण्डा 06 रूपये के दर से राशि दिया जाता है, जबकि बाजार में प्रति अण्डा 10 रूपये मूल्य है। ऐसे में आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका द्वारा प्रतिदिन बच्चों को अण्डा देना संभव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा लिखित रूप में पत्र आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि आयोग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विभाग से पत्राचार किया जा सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिलाओं एवं बच्चों को THR नहीं मिल पा रहा है।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि नया राशन कार्ड बनाने हेतु मोबाईल नंबर एवं आधार नंबर मॉड्यूल में हो, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि जरूरतमंद व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में सदस्यों का नाम जिला स्तर पर नहीं जुड़ पा रहा है। कुछ प्रावधान जिला स्तर पर भी होना चाहिए।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में मात्र 50 प्रतिशत ही कूकिंग गैस की आपूर्ति की गई है।
- जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा सुझाव दिया गया कि जिले के प्रत्येक विद्यालय में 01 चूल्हा के साथ 02 गैस सिलेंडर दिया जाए।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि किसी राशन कार्ड में पहले से 10 सदस्य हैं एवं उस राशन कार्ड में अतिरिक्त सदस्यों का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो उनका ऑनलाईन आवेदन नहीं हो पा रहा है।

<u>कोडरमा जिला</u>

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–18.12.2025**

➢ ***पी० एम० पोषण (मध्याह्न भोजन) :–***

- दिनांक–18.12.2025 को आयोग द्वारा आदर्श मध्य विद्यालय, कोडरमा U Dise code 20050118902 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बच्चों के लिए बनाया जाने वाला भोजन कूकिंग गैस पर बनता हुआ पाया गया। विद्यालय में भोजन से सम्बन्धित मेन्यू Chalk से अंकित किया हुआ पाया गया। बच्चों द्वारा सप्ताह में 2 दिन अंडा मिलने एवं मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने की बात कही गई। आयोग द्वारा मेन्यू का दीवार लेखन कराने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग द्वारा नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, बालरोटांड़, पंचायत लोकाई, प्रखण्ड कोडरमा U Dise code 20050115101 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भोजन कूकिंग गैस पर बनता हुआ पाया गया। बच्चों द्वारा सप्ताह में 2 दिन अंडा मिलने एवं मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग द्वारा उत्क्रमित राजकीय+2 उच्च विद्यालय, पथलडीहा, U Dise code 20050113001 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भोजन से संबंधित मेन्यू अंकित पाया गया। भोजन कूकिंग गैस पर बनता हुआ पाया गया। बच्चों द्वारा सप्ताह में 2 दिन अंडा मिलने एवं मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➤ *आंगनबाड़ी केन्द्र :–*

- आयोग द्वारा मॉडल आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल, केंद्र–बालरोटांड़, पंचायत–लोकाई, प्रखण्ड–कोडरमा सदर, जिला–कोडरमा, कोड संख्या–20348020430 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में कुल–40 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 37 बच्चे उपस्थित पाए गए। केंद्र के बच्चों द्वारा प्रतिदिन अंडा मिलने की बात कही गई। केंद्र साफ सुथरा एवं भोजन कूकिंग गैस पर बनता हुआ पाया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग द्वारा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी स्कूल, केंद्र–सलाईडीह, पंचायत–इंदरवा, प्रखण्ड–सदर कोडरमा, जिला–कोडरमा, कोड 420 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में कुल–45 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 38 बच्चे उपस्थित पाए गए। केंद्र में प्रतिदिन बच्चों को अंडा मिलने की बात कही गई। केंद्र में उपस्थित गर्भवती महिलाओं द्वारा PMMVY से सम्बन्धित किस्त की राशि मिलने की बात कही गई। जानकारी मिली कि आंगनबाड़ी केंद्र से कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र भेजने पर वहां के कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन को निर्देश देने की बात कही गई। आयोग द्वारा केंद्र की सेविका को निर्देश दिया गया कि कुपोषित बच्चों की माताओं को अपने बच्चों के ईलाज हेतु कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराने के लिए जागरूक करें। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➤ *जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–*

- आयोग द्वारा पीडीएस डीलर, कर्मा साख समूह, अनुज्ञप्ति संख्या 27/09, ग्राम–सलाईडीह, पंचायत–इंदरवा, प्रखण्ड–कोडरमा, जिला–कोडरमा के राशन दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सूचना पट्ट पर स्टॉक से सम्बन्धित जानकारी लिखा हुआ नहीं पाया गया। आयोग द्वारा स्टॉक अंकित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सूचना पट्ट पर आयोग का व्हाट्सएप नंबर भी अंकित करने का निर्देश दिया गया।

  (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा पीडीएस डीलर, श्री विनोद कुमार, अनुज्ञप्ति संख्या 01/2005, ग्राम–जलवाबाद नागरखारा, नगर पंचायत कोडरमा के राशन दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सूचना पट्ट अंकित पाया गया। उपस्थित लाभुकों द्वारा पूरा राशन मिलने की बात कही गई, आयोग द्वारा सूचना पट्ट पर आयोग के व्हाट्सएप नंबर भी अंकित करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- आयोग द्वारा पीडीएस डीलर, श्री साहिद परवेज, अनुज्ञप्ति संख्या 19/17, वार्ड नंबर 4, नगर पंचायत कोडरमा के राशन दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सूचना पट्ट अंकित पाया गया। लाभुकों द्वारा पूरा राशन मिलने एवं किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➤ ***कुपोषण उपचार केन्द्र :-***

- आयोग द्वारा कोडरमा जिला के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में कुल-10 बेड की क्षमता है, वर्तमान में कुल 3 कुपोषित बच्चे भर्ती पाए गए। केंद्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा सही ईलाज होने, प्रतिदिन भोजन मिलने एवं प्रतिदिन 130 रुपए की राशि मिलने की बात कही गई। केंद्र साफ-सुथरा पाया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ **समीक्षात्मक बैठक, कोडरमा।**

- दिनांक-18.12.2025 को अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक परिसदन भवन, कोडरमा में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे कोडरमा जिले के अपर समाहर्त्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रभारी जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए इन शिकायतों पर 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा बताया गया कि जिले में महिलाओं एवं बच्चों को THR नहीं मिल पा रहा है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा अण्डा का दर पुनः निर्धारित करने का सुझाव दिया गया। वर्तमान में अण्डा का बाजार मूल्य 09 रूपये है, जबकि विभाग से प्रति अण्डा का दर 06 रूपये निर्धारित है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान कुपोषण उपचार केन्द्र में वहाँ के कर्मचारियों द्वारा लाभार्थियों के साथ गलत व्यवहार करने से सम्बन्धित मामले को सिविल सर्जन, कोडरमा के संज्ञान में

लाते हुए कार्रवाई करने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

❖ **आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा रामगढ़ एवं कोडरमा जिले में बैठकों के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देशः–**

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, पी0एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जानकारी मिली कि दोनों जिले में निगरानी समिति गठित है। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निगरानी समिति की बैठक समय–समय पर करने एवं उस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनवितरण प्रणाली केन्द्रों, विद्यालयों में दिये जाने वाले पी0एम0 पोषण एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना से सम्बन्धित सूचना पट्ट अंकित करवाना सुनिश्चित करें, ताकि लाभुकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो सके। साथ ही उक्त सूचना पट्ट पर आयोग का वाट्सएप्प नंबर भी अंकित करवाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत होने पर लाभुक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने एवं लाभुकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दोनों जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मृत व्यक्तियों अथवा अयोग्य व्यक्तियों की पहचान कर उनका राशन कार्ड से नाम हटाने एवं योग्य व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दोनों जिलों के उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी शिकायतें जो आयोग के माध्यम से उन्हें भेजे जाते हैं, इन मामलों में यदि रिक्ति नहीं होने के कारण लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को इससे अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके।

- आयोग द्वारा उपस्थित दोनों जिलों के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि कुपोषित बच्चों की माताओं को ईलाज हेतु अपने बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराने के लिए प्रेरित एवं जागरूक करें।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित दोनों जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों से अपने–अपने जिलों के सभी प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत् लाभुक को बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करें एवं योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएँ। पंचायत स्तर पर निगरानी समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं। उनके साथ बैठक कर उन्हें सम्बन्धित योजनाओं से अवगत कराएँ एवं उनसे सुझाव भी मांगे।

- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोगों को अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेरित करें, ताकि शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही हो सके।

इसके साथ रामगढ़ एवं कोडरमा जिला भ्रमण समाप्त हुआ।

26.12.25
(शबनम परवीन)
सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

जिला–रामगढ़

1. मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल, कोड सं0–424 ग्राम–कुंदुकला, जिला–रामगढ़ का स्थलीय निरीक्षण

2. मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल, साण्डी, प्रखंड मांडू, जिला–रामगढ़, कोड संख्या–607 का स्थलीय निरीक्षण

3. राशन डीलर, श्री राजेश कुमार जैन, अनुज्ञप्ति संख्या–3/90, राँची रोड, वार्ड नंबर–1 जिला–रामगढ़ के राशन दुकान का औचक निरीक्षण

4. राशन डीलर, श्री तपेश्वर प्रसाद साहु, अनुज्ञप्ति संख्या–3/92, राँची रोड, वार्ड नंबर–1, जिला–रामगढ़ का स्थलीय निरीक्षण

5. राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय, U Dise code–20241409111, राँची रोड, पोस्ट मरार, जिला–रामगढ़ का स्थलीय निरीक्षण

6. राजकीयकृत मध्य विद्यालय, भरीचनगर, साण्डी, प्रखंड मांडू, जिला रामगढ़, U Dise code–20241209401 का स्थलीय निरीक्षण

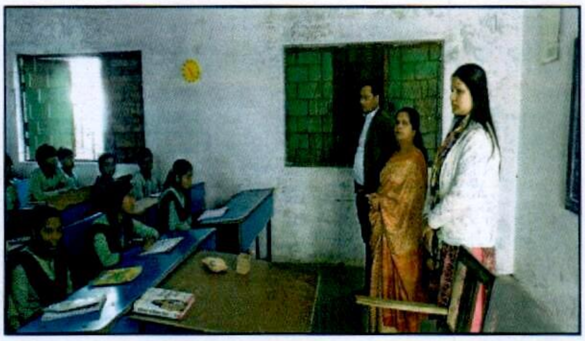

7. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, प्रखंड रामगढ़, जिला रामगढ़ के गोदाम का स्थलीय निरीक्षण

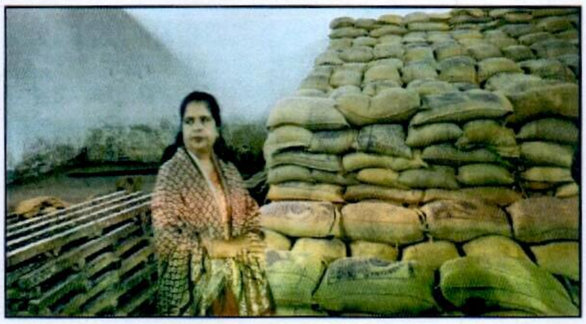

8. रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण

9. परिसदन भवन, रामगढ़ में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक

जिला–कोडरमा

10. आदर्श मध्य विद्यालय, कोडरमा U Dise code 20050118902 का स्थलीय निरीक्षण

11. नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, बालरोटांड़, पंचायत लोकाई, प्रखण्ड कोडरमा U Dise code 20050115101 का स्थलीय निरीक्षण

12. उत्क्रमित राजकीय+2 उच्च विद्यालय, पथलडीहा, U Dise code 20050113001 का स्थलीय निरीक्षण

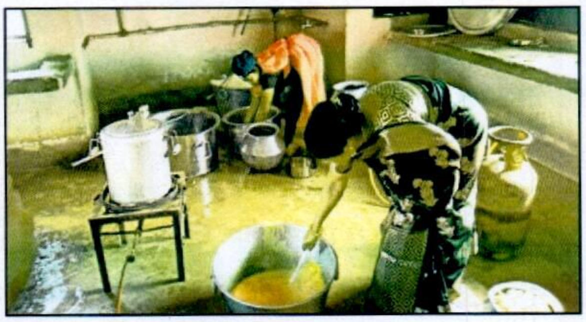

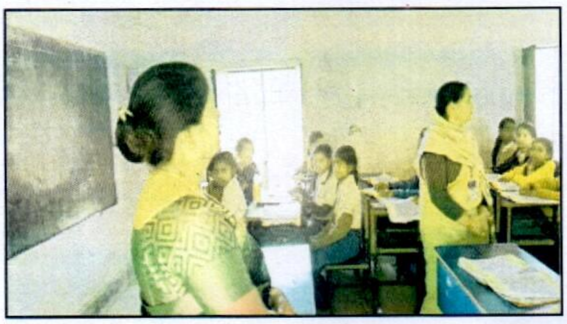

13. मॉडल आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल, केंद्र–बालरोटांड़, पंचायत–लोकाई, प्रखण्ड–कोडरमा सदर, जिला–कोडरमा, कोड संख्या–20348020430 का स्थलीय निरीक्षण

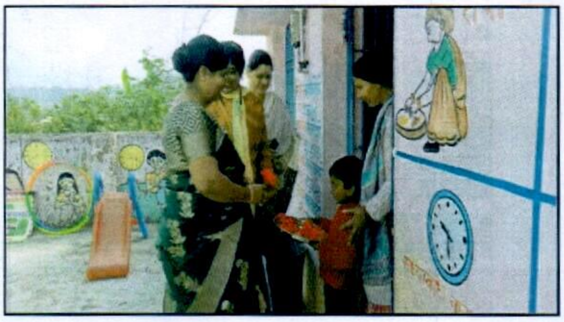

14. मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी स्कूल, केंद्र–सलाईडीह, पंचायत–इंदरवा, प्रखण्ड–सदर कोडरमा, जिला–कोडरमा, कोड 420 का स्थलीय निरीक्षण

15. पीडीएस डीलर, करमा साख समूह, अनुज्ञप्ति संख्या 27/09, ग्राम–सलाईडीह, पंचायत–इंदरवा, प्रखण्ड–कोडरमा, जिला–कोडरमा के राशन दुकान का निरीक्षण

16. पीडीएस डीलर, श्री विनोद कुमार, अनुज्ञप्ति संख्या 01/2005, ग्राम–जलवाबाद नागरखारा, नगर पंचायत कोडरमा के राशन दुकान का निरीक्षण

17. पीडीएस डीलर, श्री साहिद परवेज, अनुज्ञप्ति संख्या 19/17, वार्ड नंबर 4, नगर पंचायत कोडरमा के राशन दुकान का निरीक्षण

18. कोडरमा जिला के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण

19. परिसदन भवन, कोडरमा में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक